

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4( 232 )वित्त-1(1)आ.व्यय/2010/

जयपुर, दिनांक : 06-07-2012

कोषाधिकारी,  
सचिवालय कोष,  
जयपुर, राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 170 /2012-13)

विषय:-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 2 ( ) ग्रा.वि.स/पीआरआई ट्रेनिंग/आरजीएसवाई/2011/932 दि. 25.06.2012 में अंकित शर्तों के अनुसार राशि रु. 42.00 लाख (अक्षरे राशि रु. बियालीस लाख रुपये मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुये इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पीडी खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे:-

-व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग संख्या -41

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता

(12) - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

[02]- कार्यकलाप संबंधी

12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन )

आयोजना - राशि रु. 42.00 लाख (अक्षरे राशि रु. बियालीस लाख रुपये मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय




(सुधीर शर्मा) 05-07-12

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकर (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-1) राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
5. सहायक शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
6. एसीपी, (वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव, वित्त (बजट)